


10/03/22

वकील प्राची अं०।
वकील अप्राची अं०।
मूल निगशकी मे निर्वाह पारित हो जाने के
इस प्रा.प. मे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं
रहने एवं आगे चलाये रखने की कोई
औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

लिहाजा प्रा.प. मे कार्यवाही समाप्त
की जाती है।

पत्रा. फेलन शुभारंभ होकर नम्बर लिखत है
एवं मूल निगशकी के सलंगन हो।


प्रकाश कलकट्टा, प. 1

REC-100
25/1/22

इस प्रमाणित प्रमाणिका के अंतर्गत
निम्नलिखित विवरणों के अन्तर्गत
निगशकी के अन्तर्गत निगशकी के अन्तर्गत
निगशकी के अन्तर्गत निगशकी के अन्तर्गत
निगशकी के अन्तर्गत निगशकी के अन्तर्गत
निगशकी के अन्तर्गत निगशकी के अन्तर्गत
निगशकी के अन्तर्गत निगशकी के अन्तर्गत
निगशकी के अन्तर्गत निगशकी के अन्तर्गत

निगशकी के अन्तर्गत निगशकी के अन्तर्गत
निगशकी के अन्तर्गत निगशकी के अन्तर्गत
निगशकी के अन्तर्गत निगशकी के अन्तर्गत
निगशकी के अन्तर्गत निगशकी के अन्तर्गत
निगशकी के अन्तर्गत निगशकी के अन्तर्गत
निगशकी के अन्तर्गत निगशकी के अन्तर्गत
निगशकी के अन्तर्गत निगशकी के अन्तर्गत
निगशकी के अन्तर्गत निगशकी के अन्तर्गत